न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी:: श्री अंश दीप, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 33/2018 ::

जीसीएमएस नम्बर :: 2018/00285

प्रार्थी :-	बनाम	अप्रार्थीगण :-
मोहनसिंह पुत्र रावतसिंह राजपुरोहित निवासी मादा तहसील देसूरी जिला पाली (राज.)		1. ग्राम पंचायत मादा जरिये सरपंच 2. प्रकाश पुत्र सवाईसिंहजी राजपुरोहित निवासी मादा तहसील देसूरी जिला पाली (राज.)

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

अधिवक्ता :- प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित उपस्थित
अप्रार्थीगण अधिवक्ता श्री सुमेर सिंह राजपुरोहित उपस्थित

-:: नि र्ण य ::-

दिनांक :- 27.01.2021

यह निगरानी प्रार्थना पत्र अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत मादा तहसील देसूरी की मिसल संख्या 55/2011-12 प्रस्ताव संख्या 15 दिनाँक 20.12.2013 की पालना में पारित पट्टा संख्या 47 को निरस्त कराने हेतु पेश की। प्रार्थी की निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस एवं ग्राम पंचायत से रेकर्ड तलब किया जाकर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि पंचायत निगरानी जैर आदेश कानूनी वाक्यातों के विरूद्ध है। तथा जैर निगरानी आदेश पारित करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पचायती राज नियम 1996 के किसी भी प्रावधानों की पालना नहीं की है जिससे प्रस्ताव मय पट्टा खारिज योग्य है। प्रार्थी द्वारा पट्टा बनाने हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है जबकि आदेशिका में आवेदन पेश करना अंकित है तथा उक्त आदेशिका की दिनाँक ही अंकित नहीं है। अगली आदेशिका दिनांक 05.06.2013 में भूमी विक्रयविलेख का नक्शा बनाने हेतु व मौका रिपोर्ट हेतु 3 वार्ड पंचों को नियुक्त किया गया। वार्ड पंचो की रिपोर्ट अनुसार भूमी पर प्रार्थी का कब्जा है तथा इनका पुश्तैनी मकान है अर्थात जैर निगरानी आराजी के भूमी भी बताया है तथा पुश्तैनी मकान मकान होना भी अंकित है। आदेशिका दिनाँक 20.12.2013 में मकान पुश्तैनी होने एवं वादग्रस्त नहीं होने से बाद बयान दो गवाहों के देने हेतु पंचायत में उपस्थित करने हेतु वास्ते फैसला नियत की गई एवं बाद बयान दिनाँक 20.12.2013 को हीह आराजी पर पुश्तैनी मकान मानते हुए धारा 157 ख के तहत पुराने गृहों के विनियमितीकरण के तहत प्रार्थी से राशि 200/- रूपये पंचायत कोष में जमा किए जाकर पट्टा जारी करने के आदेश जारी किए गए जबकि जैर निगरानी आराजी का पूर्व में प्रार्थी प्रकाश के पिता सवाईसिंह के नाम पटटा संख्या 95 दिनाँक **20.04.1984** को प्रस्ताव संख्या 5 दिनाँक 15.01.1984 की पालना में पट्टा जारी किया गया है पट्टे की प्रमाणित प्रति पत्रावली के संलग्न हैं उसी आराजी का दुबारा पट्टा अप्रार्थी संख्या 2 प्रकाश के नाम सन् 2013 में जारी किया गया जो पट्टे में **आइसीयत** के अंकित किए गए पड़ोस से स्पष्ट है। इससे स्पष्ट है कि जैर निगरानी पट्टा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में कर दिया गया है जो निरस्त योग्य है। इस आशय का प्रस्ताव बैठक दिनाँक 05.06.2018 को प्रस्ताव संख्या 5 के जरिये दुबारा जारी पट्टे को खारिज कराने बाबत लिया हुआ है जिससे अप्रार्थी संख्या 2 प्रकाश के हक में उसके पिता के [illegible] जारी कर दिया उसे खारिज कराने की कार्यवाही कराने बाबत लिया हु[illegible] से भी पट्टा दुबारा जारी होना पंचायत मानती है इस वजह [illegible] योग्य होने से जैर निगरानी पट्टा निरस्त फरमा[illegible] द्वारा दृष्टांत DNJ(R[illegible]98 पेश किया जिसके अनुसार पश्चातवृती विक्रय बि[illegible]अधिकारिता के होने से [illegible] निरस्त योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:46:03 IST
Reason: SelfAttested

क्रमश.....................2

जिला कलेक्टर, पाली

वकील अप्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि मौके पर मकान बना हुआ है यह तथ्य प्रार्थी के अधिवक्ता को भी स्वीकार्य है एवं पुश्तैनी मकान का पट्टा पंचायत राज अधिनियम में प्रदत नियमों की पालना करते हुए जारी किया गया है ग्राम पंचायत द्वारा पत्रावलद कायम की गई प्रस्ताव लिया गया है आपत्ति इश्तिहार जारी किया हुआ है। तीन वार्ड पंचों की कमेटी बनाई गई है तथा उनके द्वारा मौका निरीक्षण किया गया है दो स्वतंत्र गवाहों के बयान लिए गए है। इस प्रकरण में पंचायत द्वारा नियमानुसार प्रस्ताव संख्या 15/2012–2013 लिया जाकर 200/– रूपये राशि ग्राम पंचायत द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की गई है न ही अवैधानिक रूप से कार्यवाही की गई है। पंचायत राज अधिनियम में प्रदत नियमों के अनुरूप प्रक्रिया अपनाकर ग्राम पंचायत द्वारा नियम 157 (1) सीपीसी के तहत प्रस्ताव पारित कर पट्टा जारी किया गया जो विधीसम्मत होने से पट्टा व प्रस्ताव यथावत रखे जाने के आदेश फरमावे। प्रार्थी मोहनसिंह जैर निगरानी प्रकरण एवं आराजी में व्यथित अथवा हितबद्ध पक्षकार नहीं होने से वह अप्रार्थी के विरूद्ध निगरानी लाने का अधिकार नहीं रखता इसलिए भी जैर निगरानी पट्टा खारिज फरमावे।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली एवं ग्राम पंचायत मादा के रेकर्ड का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का भी ससम्मान अवलोकन किया गया। हमने पाया कि जैर निगरानी आराजी का पट्टा 1984 में अप्रार्थी संख्या 2 प्रकाश के पिता के नाम जैर निगरानी आराजी का पट्टा जारी संख्या 95/20.04.1984 मिसल संख्या 61/83–84 में पारित आदेश तथा प्रस्ताव संख्या 5 दिनांक 15.01.84 की पालना में जारी किया गया तथा उसी आराजी का पट्टा 47/23.12.13 को प्रस्ताव संख्या 15 दिनाँक 20.12.2013 की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 प्रकाश के हक में जारी किया गया है जिस आराजी को एक बार ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जाता है उसे दुबारा जारी नहीं किया जा सकता है। राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 140 के अनुसार नुजूल आबादी भूमी का ही पट्टा जारी किया जा सकता है तथा एक बार पट्टा जारी करने के पश्चात भूमी नूजूल आबादी भूमी में नहीं रह जाती एवं उस पर ग्राम पंचायत का हक नहीं रह जाता है। उक्त दोनों पट्टो में अंकित पड़ौस से एक ही आराजी होना स्पष्ट है मात्र लम्बाई चौड़ाई क्रमशः 10 फुट व 5 फुट बढाई गई है ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा एक ही आराजी का दुबारा पट्टा जारी किया जाना सिद्ध होने से पश्चातवृती पट्टा जो प्रकाश पुत्र सवाईसिंह के हक में जारी किया गया वह निरस्त योग्य है। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण में पूर्णतया चस्पा होता है। इस बात की पुष्टी पंचायत के प्रस्ताव संख्या 5 दिनाँक 05.06.2018 की पत्रावली संलग्न प्रमाणित प्रति से भी होती है। पट्टाधारी को नियमानुसार अपने पिता के हक में जारी पट्टे को नवीनीकरण कराया जाना चाहिए था। प्रार्थी द्वारा ऐसा नहीं कर राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 में प्रदत सामान्य नियमों के अनुरूप नहीं पट्टा जारी नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में जैर निगरानी पट्टे को यथावत रखा जाना न्यायोचित नहीं है।

परिणामस्वरूप ग्राम पंचायत मादा द्वारा जारी जैर निगरानी पट्टा संख्या 47 दिनांक 20.12.2013 जो मिसल संख्या 55/2011–12 में पारित आदेश एवं प्रस्ताव संख्या 15 दिनांक 20.12.2013 की पालना में जारी किया गया उसे निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज मेरे द्वारा दिनांक 01.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:46:03 IST
Reason: SelfAttested

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली